निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 वैशाख 1936 (श0)

(सं0 पटना 421) पटना, शुक्रवार, 16 मई 2014

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

———————

अल्पकालीन निविदा सूचना

16 मई 2014

1ली जून, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक अथवा पेट (PET) बोतल में देशी शराब की आपूर्ति प्रारम्भ होने तक, (जो भी पहले हो) के लिए बोतल की परिभाषा में परिभाषित सैचेट में देशी शराब के विनिर्माण कर बी०एस०बी०सी०एल० (BSBCL) को थोक आपूर्त्ति करने के हेतु दो लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निविदा।

सं० 10/नीति (निविदा)–89/2012.–1311—बिहार राज्य में देशी शराब के मद्य भंडागार से बी०एस०बी०सी०एल० के गोदामों में 1ली जून, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक छोआ से निर्मित संशोधित सुषव से देशी शराब (शक्ति 60 यू0पी0) का निर्माण कर बोतल की परिभाषा में परिभाषित सैचेट में आपूर्त्ति करने हेतु अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने के निमित्त उत्पाद प्रपत्र–27 में अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु राजस्व पर्षद/राज्य सरकार इच्छुक व्यक्तियों/पार्टनरशिप फर्मो/कम्पनी/आसवनगृह से निविदा आमंत्रित करती है। देशी शराब की आपूर्त्ति के निमित निविदा इसके साथ संलग्न सूची–2 में उल्लेखित प्रपत्र–'क' में समर्पित की जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि 01ली अप्रील, 2014 से 31 मार्च 2019 तक पेट (PET) बोतल में देशी शराब का निर्माण कर बी0एस0बी0सी0एल0 को थोक आपूर्ति करने हेतु प्रकाशित निविदा के आलोक में कुल 17 सफल निविदादाताओं को अनन्य विषेषाधिकार प्रदत्त किया जा चुका है। इन सफल निविदादाताओं द्वारा पेट बोतल में देशी शराब की विनिर्माण एवं आपूर्ति हेतु संयत्रों की स्थापना की जा रही है, किसी भी समय के अन्तराल में पेट बोतलों में देशी शराब का निर्माण सम्भावित होगा। सफल निविदादाताओं द्वारा पेट बोतल में देशी शराब की आपूर्ति शुरू होने के साथ ही बोतल की परिभाषा में परिभाषित सैचेट में देशी शराब का विनिर्माण कर बी०एस०बी०सी०एल० **(BSBCL)** को थोक आपूर्त्ति की इस अल्पकालीन निविदा के तहत प्रदत्त अनन्य विशेषाधिकार तथा उससे सम्बद्ध अनुज्ञप्ति स्वतः अक्रियाशील हो जाएगी।

निविदा हेतु समर्पित लिफाफे के उपर ***''सैचेट (जो बोतल की परिभाषा में परिभाषित है) में देशी शराब की आपूर्ति''*** लिखा रहे। मुख्य लिफाफे में दो अलग–अलग लिफाफे होंगे । (I) तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में तकनीकी कागजात रखे जायेंगे एवं उस पर मोटे अक्षरों में ''तकनीकी निविदा'' लिख जायेगा । (II) वित्तीय निविदा वाले लिफाफे में मात्र आपूर्त्ति दर रखी जायेगी । तकनीकी निविदा वाले लिफाफे को पहले खोला जायेगा एवं निविदा

तकनीकी रूप से qualify करने पर ही वित्तीय निविदा वाले लिफाफे को खोला जायेगा । निविदा उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के विकास भवन, नया सचिवालय, पटना–800015 स्थित कार्यालय में ***दिनांक :27.05.2014 को 11:00 बजे पूर्वा० तक*** पहुंच जानी चाहिए जिसे उसी दिन **12:00 बजे अप0** में निविदादाताओं के समक्ष आयुक्त उत्पाद अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी/समिति द्वारा खोली जाएगी।

2. निविदा की शर्तें

(क) अर्हताः–

(i) निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/आसवनगृह को, राज्य या राज्य के बाहर देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के निर्माण एवं आपूर्त्ति करने का कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ कार्यकलाप (आपूर्त्ति) संतोषप्रद होना चाहिए। बिहार के अन्दर कार्यरत आसवनगृहों को तीन वर्ष के अनुभव संबंधी अर्हता में छूट होगी परन्तु राज्य के बाहर के आसवनगृहों को यह छूट नहीं होगी। निविदा में मात्र कार्यरत आसवनगृह ही भाग ले सकेंगे तथा उन्हें कार्यरत होने का साक्ष्य देना होगा। राज्य के बाहर के न्यूनतम 3 (तीन) वर्ष का अनुभव होने से संबंधित अनुज्ञप्ति की प्रति साक्ष्य के रूप में देनी होगी।

(ii) राज्य के बाहर के आसवनियों को न्यूनतम 3 वर्ष कार्यरत होने का साक्ष्य देना होगा परंतु शराब आपूर्ति को अनुज्ञप्ति देने की अनिवार्यता नही होगी। सभी आसवनी को अपनी उत्पादन क्षमता एवं विगत वर्ष 2012–13 में छोआ से निर्माण किये गये संषोधित सुषव/संषोधित सुषव ग्रेड–1 की विवरणी देनी होगी। गत वर्ष कम से कम 50 लाख..BL संशोधित सुषव/सुषव ग्रेड–1 का उत्पादन साक्ष्य होने पर ही आसवनी संबंधी छूट देय होगी।

(iii) कंडिका 2(I) में वर्णित 3 वर्ष का अनुभव गत 10 वर्षों (वर्ष 2004–05 से 2013–14) के मध्य का होना चाहेंगे। इसके पूर्व का अनुभव मान्य नहीं होगा। वर्ष 2013–14 में 9 माह का अनुभव चालू अनुज्ञप्ति होने पर पूर्ण वर्ष का माना जायेगा

(3) आवश्यक वित्तीय कागजात (तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में रखें जाये) :–

(क) तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जाएंगे :–

(i) निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदादाता को ''0039–राज्य उत्पाद शुल्क – देशी स्पिरिट भट्ठी–स्पिरिट शुल्क'' बजट शीर्ष के अधीन कोषागार चालान या आयुक्त उत्पाद, बिहार के पदनाम से थातीकृत **(Pledged)** राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमानत राशि के रूप में रु० **5,00,000/–** **(पांच लाख)** की राशि जमा कर निविदा के साथ उपस्थापित करनी होगी। असफल निविदादाताओं को जमानत की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। निविदादाता को प्रक्षेत्र का आवंटन निर्धारित दर पर किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा इस दर पर आपूर्त्ति से इंकार करने पर उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा भविष्य के लिए उसे काली सूची **(Black List)** में डाल दिया जाएगा।

(ii) तीन वर्षो की अनुभव अवधि में निविदादाता का प्रतिवर्ष 75,00,000 (पच्चहत्तर लाख) रूपये का टर्न ओभर हो, इसका साक्ष्य देना होगा। साक्ष्य के रूप में निबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा ऑडिटेड बैलेंश शीट संलग्न करना होगा।

(iii) निविदादाता निविदा के लिए आवेदन देते समय जिन प्रक्षेत्र के लिए अपना अधिमान्यता देंगे, वहां सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति हेतु आवश्यक संयत्रों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित एक सुस्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट समर्पित करेंगे, जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि प्रस्तावित क्षेत्र में कहां कहां कितनी क्षमता के सेचेटिंग प्लान्ट लगे हैं अथवा लगायेंगे और सैचेट में देषी शराब की आपूर्ति में किन–किन मदों पर अनुमानित कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय होगा। साथ ही उन्हें आपूर्ति प्रक्षेत्र की निविदा के लिए राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत किया हुआ 75 लाख रूपये की पूंजी की उपलब्धता का प्रमाण–पत्र (संलग्न अनुसूची–4 के प्रपत्र में) समर्पित करना होगा।

(iv) आवेदन के साथ नवीनतम दायर आयकर रिटर्न **(एसेसमेन्ट वर्ष 2013–14)** आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पावती रसीद के साथ, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होनी चाहिए, की मूल प्रति देनी होगी। ई–रिटर्न दायर करने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा रिटर्न एवं पावती रसीद जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित हो, जमा करना होगा।

(v) निविदा के साथ संलग्न अनुसूची–2 के प्रपत्र–क में निविदादाताओं द्वारा अपने स्थायी निवास एवं व्यवसाय का पता अंकित करना आवष्यक होगा। यदि निविदादाता कोई निबंधित फर्म या कम्पनी हो तो सभी पार्टनर/निदेशकों की सूची (उनके पूरे पते के साथ) तथा **DIN Number**, हर कंपनी का निबंधन पत्र, पार्टनरशिप डीड तथा मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल्स अभिलेखों को निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। इसकी बिना निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(ख) आवश्यक अन्य कागजात (तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में रखे जायें):–

(i) आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण–पत्र, जो स्थायी निवास स्थान अथवा नियमित कारोबार से संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ एस0डी0ओ0/एस0डी0पी0ओ0) द्वारा मूल रूप में प्रदत्त होना चाहिए जो निविदा प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पहले का नहीं हो। यदि निविदादाता कोई निबंधित फर्म या कम्पनी हो तो उल्लेखित चरित्र प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है अपितू सक्षम पदाधिकारी (रजिस्ट्रार ऑफ

कम्पनी) का इस बिन्दु पर प्रमाण–पत्र मूल रूप में संलग्न हो कि कम्पनी परिसमापन (लिक्वीडेशन) में नहीं है तथा यह चालू हालत में है। यह प्रमाण–पत्र निविदा प्रकाशन से एक माह से अधिक पहले का नहीं हो। एल0एल0पी0 के मामले में सभी साझेदार को चरित्र प्रमाण–पत्र देने की बाध्यता होगी। पार्टनरशिप फर्म के मामले में भी सभी साझेदार का चरित्र प्रमाण–पत्र देना बाध्यकारी होगा।

(ii) निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवष्यक होगा कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज अथवा लंबित नहीं है तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा वह सजायाफ्ता नहीं है, लेकिन निविदादाता के निबंधित फर्म या कम्पनी होने पर उल्लेखित शपथ–पत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध उत्पाद राजस्व का कोई बकाया नहीं है। यदि पूर्व में अनुज्ञाधारी के रूप में राज्य में या राज्य के बाहर निविदादाता को पूर्व प्रदत्त उत्पाद अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो तब उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। बाद में भी ऐसी सही सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। यदि निविदा स्वीकृति के बाद भी उनके विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पाद राजस्व बकाया की सूचना मिलती है तो नोटिस देने के एक माह के अन्दर बकाये का पूर्ण भुगतान नहीं करने पर निविदा की स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी।

(iv) निविदादाता द्वारा इस आशय का एक शपथ–पत्र कि –

''उनकी जानकारी में सभी अभिलेख सही है।''

(v) निविदादाता को तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में प्रक्षेत्रों की प्राथमिकता सूची रखनी होगी।

उपरोक्त कागजातों में से कोई भी कागजात नही होने पर अथवा सही नही होने पर ऐसे निविदादाता की निविदा रद्द कर दी जाएगी अथवा उसकी वित्तीय निविदा नही खोली जाएगी।

(ग) अन्य शर्तें :–

(i) प्रत्येक सफल निविदादाता को प्रतिभूति के मद में **पांच लाख (5,00,000) रू0** की बैंक गारन्टी, जो निविदा की सम्पूर्ण अवधि समाप्ति के छः माह बाद तक वैध हो, निविदा में सफल घोषित होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर देनी होगी। बैंक गारंटी के बदले आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना के नाम से थातीकृत (**Pledged**) राष्ट्रीय बचत पत्र भी दिया जा सकता है। निर्धारित अवधि में प्रतिभूति नहीं देने पर उनकी निविदा रद्द की जा सकेगी । सफल निविदादाता यदि प्रतिभूति राशि के मद में डिमांड ड्राफ्ट जमा करता है तो निविदा की स्वीकृति के पन्द्रह दिनों के अन्दर डिमांड ड्राफ्ट के स्थान पर उन्हें थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र अथवा बैंक गारन्टी जमा करना होगा।

(ii) सभी निविदादाताओं को छोआ से निर्मित संशोधित सुषव देशी शराब का निर्माण करने की व्यवस्था अपने स्तर से सुनिष्चित करनी होगी। उत्पाद विभाग का सुषव उपलब्ध कराने का **Commitment** नहीं होगा। राज्य में उपलब्ध संषोधित सुषव की उपलब्धता के आधार पर सभी आपूर्तिकर्त्ताओं को प्रत्येक माह में संबंधित प्रक्षेत्र के **MGQ/खपत** के आधार पर समानुपातिक रूप से आकलित कर समान रूप से सुषव का आवंटन किया जायेगा **MGQ/खपत** के कम से कम 30 प्रतिशत के समतुल्य सुषव की व्यवस्था प्रत्येक माह उन्हें स्वयं राज्य के बाहर अपने श्रोत से सुनिश्चित करनी होगी। यदि यह पाया जाता है कि चयनित निविदादाता **MGQ/ खपत** के अनुसार आवश्यक सुषव की व्यवस्था अपने स्तर से नहीं कर रहे हैं तो उनका विषेषाधिकार तुरंत रद्द किया जा सकेगा।

(iii) उत्पाद अधिनियम की धारा 22डी के अधीन सफल निविदादाता जिन्हें अनन्य विषेषाधिकार प्रदान किया जाएगा, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा पूरे निविदा की अवधि के लिए सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित प्रत्येक निर्माणशाला के लिए लागू अनुज्ञाशुल्क/कर का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित विहित रीति से करना होगा।

4. वित्तीय निविदा की शर्तें :–

इसके साथ ही निविदादाता को अनूसची–3 में वर्णित 17 प्रक्षेत्रों के संबंध में अपनी अधिमान्यता क्रम अंकित करना होगा। यह घटते हुए क्रम में होगा। पहला प्रक्षेत्र वह जिला होगा जिसकी अधिमान्यता सबसे अधिक है। इसके बाद अंकित प्रक्षेत्र घटती हुई अधिमान्यता क्रम वाले होंगे।

5. आपूर्ति मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया : –

(i) अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद के अनुमोदन से 200 एम.एल. एवं 400 एम.एल. **Pack size** के लिए आधार दर (Base Rate) तय किया गया है जो निम्नवत् हैः–

आधार दर (Base Rate)	
200 एम.एल.	400 एम.एल.
रू0 2.66 (दो रूपया छियासठ पैसा)	रू0 4.49 (चार रूपया उन्चास पैसा)

यह बेस रेट बी०एस०बी०सी०एल० के गोदाम में पहुँचा कर (सभी प्रकार के लागत सहित) होगा परंतु VAT आदि का मुल्यांकन इसके बाद किया जायेगा। इसी दर पर भुगतान आपूर्तिकर्त्ताओं को किया जायेगा। आधार दर एवं निविदा दर के मध्य की अन्तर राशि का भुगतान निविदा दाता द्वारा आगे की कंडिकाओं में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सरकार को करना होगा ।

(ii) निविदादाता द्वारा बेस रेट को ध्यान में रखते हुए 200 एम.एल. के पैक हेतु अपनी निविदा सीलबन्द दूसरे लिफाफे में दी जायेगी जिसे मुख्य लिफाफे में रखा जाएगा एवं लिफाफे पर ''वित्तीय निविदा'' लिखा रहेगा। 400 एम.एल. के पैक हेतु दर 200 एम.एल. पैक के लिए निविदित दर का 1.688 गुणा मानी जाएगी एवं कोई भी अलग दर मान्य नहीं होगा। 400 एम.एल. हेतु अलग दर लिखे जाने पर उसे **Ignore** कर दिया जाएगा।

(iii) निविदादाताओं द्वारा बेस रेट को ध्यान में रखते हुए अपनी निविदा दी जायेगी। बेस रेट से अधिक की निविदा अनुमान्य नहीं होगी एवं अस्वीकृत कर दी जायेगी।

(iv) विभाग द्वारा तय बेस रेट एवं निविदादाताओं द्वारा निविदित न्यूनतम दर की अंतर राशि के आधार पर **4 (चार) माह** के **MGQ** के आधार पर गणना की जायेगी तथा यह राशि निविदादाता को अग्रिम एकमुश्त निविदा के अंतमीकरण होने की तिथि से सात दिनों के अन्दर जमा करनी होगी।

प्रक्षेत्र का आवंटनः –

(i) न्यूनतम निविदा (**L-1**) को सर्वप्रथम उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता का आपूर्ति प्रक्षेत्र आवंटित किया जायेगा।

(ii) न्यूनतम निविदादाता के बाद निविदादाताओं को उनके द्वारा निविदत्त दर की अधिमानता के क्रम में प्रक्षेत्रों का आवंटन किया जायेगा तथा प्रत्येक निविदादाताओं को न्यूनतम निविदा दर एवं बेस रेट की अन्तर राशि को पूर्व कंडिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के खाता में जमा कराना होगा। किसी भी निविदादाता को एक से अधिक प्रक्षेत्रों का आवंटन प्रथम चरण में नहीं किया जायेगा। यह प्रक्रिया तबतक की जायेगी जबतक सभी प्रक्षेत्रों को आवंटन नहीं हो जाये अथवा सभी योग्य निविदादाता अच्छादित न हो जायें, जो भी पहले हो। L1 एवं L2 आदि तय करने हेतु 200ML पैक का दर ही आधार होगा। 400ML पैक का दर 1.688 गुना माना जायेगा।

(iii) निविदादाता को सम्पूर्ण राज्य के लिए मात्र 200ML पैक साइज में आपूर्ति की दर का उल्लेख करना होगा, न कि किसी प्रक्षेत्र विषेष के लिए। 400ML पैक का दर 200MLपैक का 1.688 गुना दर माना जायेगा। निविदादाता को किसी भी प्रक्षेत्र में अनन्य विषेषाधिकार प्राप्त करने एवं उसमें कार्य करने के लिए सहमति दिखाते हुए आवेदन करना होगा तथा प्रक्षेत्र का आवंटन हेतु अपनी प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध कर उसके साथ आवेदन करना होगा।

(iv) प्रक्षेत्रों का आवंटन न्यूनतम दर देने वाले निविदादाताओं को उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। निम्नलिखित उदाहरण प्रक्षेत्र के आवंटन की प्रक्रिया निदर्शित करता है :–

(a) अधिमानता क्रमांक–1 (**L-1**) के निविदादाता को उसके द्वारा दिये गये सर्वोच्च प्राथमिकता का प्रक्षेत्र आवंटित किया जायेगा।

(b) तत्पश्चात अधिमानता क्रमांक–2 (**L-2**) के निविदादाता को उसके द्वारा दिया गया सर्वोच्च प्राथमिकता का वह प्रक्षेत्र आवंटित किया जायेगा जो पूर्व में आवंटित नहीं है। यदि अधिमानता क्रमांक–1 एवं 2 के निविदादाता के उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र एक ही हों तब क्रम–2 के निविदादाता को उसके दूसरी उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र को आवंटित किया जायेगा।

(c) सभी बोली लगाने वालों के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया दुहरायी जायेगी जबतक सभी प्रक्षेत्र आवंटित न हो जाये अथवा सभी योग्य बोली लगाने वालों से आच्छादित न हो जाय, जो भी पहले हो।

(v) निविदा की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्त मानी जाएगी तथा इसके उल्लंघन की स्थिति में उत्पाद अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुज्ञप्ति विखंडित कर दी जाएगी अथवा धारा **42(g),(h)** के तहत अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सैयद परवेज आलम,
आयुक्त उत्पाद ।

अनुसूची–1 (विनिर्माण प्रक्षेत्र)

प्रक्षेत्र संख्या	जिला का नाम	वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा 2013–14	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (1जून, 2014 से 30.9.2014 तक कुल 04 माह का)	मासिक प्रत्याभूत मात्रा 2013–14
1	2	3	4	5
1	पटना नगर	8751000.000	2917000.000	729250.000
	योग	**8751000.000**	**2917000.000**	**729250.000**

2	पटना ग्रामीण	8016084.000	2672028.000	668007.000
	योग	**8016084.000**	**2672028.000**	**668007.000**
3	भोजुपर	3957109.911	1319036.637	329759.159
	बक्सर	2467729.204	822576.401	205644.100
	योग	**6424839.115**	**2141613.038**	**535403.260**
4	रोहतास	6801121.827	2267040.609	566760.152
	कैमूर	1574105.625	524701.875	131175.469
	योग	**8375227.452**	**2791742.484**	**697935.621**
5	औरंगाबाद	4036529.250	1345509.750	336377.438
	गया	3186035.173	1062011.724	265502.931
	योग	**7222564.423**	**2407521.474**	**601880.369**
6	अरवल	715392.000	238464.000	59616.000
	जहानाबाद	1084730.193	361576.731	90394.183
	नवादा	2682720.000	894240.000	223560.000
	शेखपुरा	719402.970	239800.990	59950.248
	योग	**5202245.163**	**1734081.721**	**433520.430**
7	नालंदा	6235680.154	2078560.051	519640.013
	योग	**6235680.154**	**2078560.051**	**519640.013**
8	सिवान	4698510.923	1566170.308	391542.577
	गोपालगज	3727569.722	1242523.241	310630.810
	योग	**8426080.645**	**2808693.548**	**702173.387**
9	सारण	2857501.416	952500.472	238125.118
	वैशाली	2230028.595	743342.865	185835.716
	योग	**5087530.011**	**1695843.337**	**423960.834**
10	पूर्वी चंपारण	3755339.683	1251779.894	312944.974
	पश्चिमी चंपारण	4218246.000	1406082.000	351520.500
	योग	**7973585.683**	**2657861.894**	**664465.474**
11	मुजफ्फरपुर	3715050.886	1238350.295	309587.574
	सीतामढ़ी	2140781.174	713593.725	178398.431
	शिवहर	446817.374	148939.125	37234.781
	योग	**5855832.060**	**2100883.145**	**487986.005**
12	दरभंगा	5148925.259	1716308.420	429077.105
	योग	**5148925.259**	**1716308.420**	**429077.105**
13	मधुबनी	3214219.539	1071406.513	267851.628
	समस्तीपुर	3149401.500	1049800.500	262450.125
	योग	**6363621.039**	**2121207.013**	**530301.753**
14	सहरसा	1385212.950	461737.650	115434.413
	सुपौल	1278803.807	426267.936	106566.984

	मधेपुरा	1266908.956	422302.985	105575.746
	योग	**3930925.712**	**1310308.571**	**327577.143**
15	अररिया	1152162.000	384054.000	96013.500
	पूर्णियां	2032408.531	677469.510	169367.378
	किशनगंज	722719.800	240906.600	60226.650
	कटिहार	2290979.869	763659.956	190914.989
	योग	**6198270.200**	**2066090.067**	**516522.517**
16	भागलपुर	2181426.720	727142.240	181785.560
	बांका	617929.528	205976.509	51494.127
	लखीसराय	804247.481	268082.494	67020.623
	मुंगेर	1454892.566	484964.189	121241.047
	जमुई	1120883.306	373627.769	93406.942
	योग	**6179379.601**	**2059793.200**	**514948.300**
17	खगड़िया	1374043.644	458014.548	114503.637
	बेगूसराय	3232528.560	1077509.520	269377.380
	योग	**4606572.204**	**1535524.068**	**383881.017**

अनुसूची–2

प्रपत्र (क)

आवेदन का प्रपत्र

दिनांक 1ली जून, 2014 से 30 सितम्बर 2014 तक अथवा पेट बोतल में देषी शराब की आपूर्त्ति प्रारंभ होने तक, (जो भी पहले हो) के लिए बोतल की परिभाषा में परिभाषित सैचेट में देशी शराब के विनिर्माण कर बी०एस०बी०सी०एल० को थोक आपूर्त्ति करने के हेतु दो लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निविदा।

1. (क) निविदादाता का नामः–

(ख) निविदादाता के पिता का नामः–

(ग) निवास, गाँव, थाना, जिला और राज्यः–

(घ) कारोबार का स्थान और उसका पूरा पताः–

(ड) निविदादाता अगर कम्पनी फर्म हैं तो उसके निदेशकों की एक सूची, नाम एवं पूर्ण पता के साथ अलग से संलग्न किया जाये।

2. जमानत के रूप में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिये 5,00,000.00 (पाँच लाख) रूपये जमा करने के प्रमाण स्वरूप मूल कोषागार चालान या राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र की संख्या और तारीख जो निविदा के साथ संलग्न है।

3. जिन प्रक्षेत्रों के लिए अधिमानता दी गयी है उनमें देशी शराब की आपूर्ति हेतु आवश्यक संयंत्रों एवं Infrastructure से संबंधित सुस्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की गयी है अथवा नहीं। निविदा की कंडिका 3 (ii) के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें।

4. आपूत्ति प्रक्षेत्रों के निविदा के लिए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत किया गया 75 लाख रूपये की पूँजी उपलब्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5. नवीनतम दायर आयकर रिटर्न, आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पावती रसीद के साथ संलग्न करें, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित मूल प्रति होना चाहिए। ई–रिटर्न दायर करने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा रिटर्न एवं पावती रसीद, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित हो, संलग्न करें।

6. चरित्र प्रमाण पत्र/कम्पनी के मामले में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र कि कम्पनी के परिसमापन में नहीं है संलग्न है अथवा नहीं। संलग्न करें।

7. निविदादाता के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज/लम्बित नहीं है तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा वह सजायाफ्ता नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है अथवा नहीं। संलग्न करें।

8. इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता के विरूद्ध उत्पाद राजस्व का बकाया नहीं है एवं उनकी पूर्व प्रदत्त अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की गयी है। संलग्न करें।

9. निविदा की कंडिका 2.1 के अनुसार तीन वर्ष का अनुभव संबंधी साक्ष्य एवं प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है अथवा नहीं। संलग्न करें।

10. निविदादाता द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न करें कि :–

(क) उसकी जानकारी में सभी अभिलेख सही है, एवं

(ख) निविदा द्वारा विनिश्चित आपूर्त्ति दर पर आपूर्त्ति की प्रतिबद्धता, भले ही उनका स्वयं द्वारा बोली गयी दर इ दर से अधिक हो।

घोषणा

मैं, ... उपर्युक्त निविदादाता घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और इसके द्वारा इस निविदा सूचना और प्रपत्र 27 में दी जाने वाली अनुज्ञप्तियों की सभी शर्त्तों और बंधेज का पालन करना स्वीकार करता हूँ।

निविदादाता का हस्ताक्षर।

अनुसूची–3

प्रपत्र–27

इससे अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र में देशी शराब बोतल की परिभाषा में परिभाषित सैचेट में विनिर्माण कर उत्पाद प्रपत्र–27(ग)में अनुज्ञप्त थोक विक्रेता को आपूर्त्ति के लिए अनुज्ञप्ति।

इसके द्वारा **सर्वश्री** .....को जिन्हे इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सामने उल्लिखित प्रकार की शराब की बिक्री के लिए बिहार उत्पाद अधिनियम (बिहार एक्साईज एक्ट) 1915 की घारा–13 तथा 20 के उपबन्धों के अधीन इसमें आगे बताई गई शर्तों पर **तारीख** ..... से ..... के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

शर्त्तें

1. इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेंची गयी शराब उत्पाद आयुक्त द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी और इससे अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी सामग्री से बनी रहेगी परन्तु सतत यह भी है कि अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में किसी समय अन्य सामग्रियों से भी बना कोई शराब अनुज्ञप्तिधारी आपूर्त्ति कर सकेगा वशर्त्ते कि उत्पाद आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे ऐसा करने की अनुमति दे दें।

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट विर्निमाणशाला इसके अधीन शराब की बिक्री के लिए उक्त क्षेत्र में आगे खोले जाने वाले और तत्काल आयुक उत्पाद/समाहर्त्ता द्वारा स्वीकृत गोदामों से भिन्न किसी अन्य स्थान में कोई भी शराब बेची न जाय।

3. इस अनुज्ञप्ति के अधीन बिक्री के लिये उक्त गोदामों में रखी गयी शराब का समाहर्त्ताओं या उत्पाद आयुक्त के आदेश द्वारा या अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा आवधिक विश्लेषण किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी उसमें पाई गई किसी त्रुटि को जिसे आयुक्त उत्पाद महत्वपूर्ण समझें सुधारने के लिये बाध्य होगा उसके बारे में उनका लिखित निर्णय अंतिम होगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी बिहार उत्पाद (शुल्क) अधिनियम 1915 से और उसके अधीन बनायेगये नियमों से जहां तक उनका इससे संबंध हो आबद्ध रहेगा। वह जिस क्षेत्र में शराब की बिक्री करना चाहते हैं उस क्षेत्र की प्रत्याभूत मात्रा पर 1 रू० एल०पी०एल० की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क (लाईसेंस फीस) एक मुश्त जमा करेगा। यदि वित्तीय वर्ष में प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्त्ति होती है तो उतनी ही अधिक मात्रा के लिए अधिक अनुज्ञप्ति शुल्क लाईसेंन्स फी देय होगा।

5. इसके अनुबद्ध अनुसूची में बताई गई शराब के विभिन्न प्रकारों में विनिर्दिष्ट विनिर्माणशाला से बिक्री की दशा में वही कीमत ली जायेगी जो ऐसी अनुसूची में ऐसे विनिर्माणशाला से इंगित किमतों और शराब के प्रकारों के सामने उल्लिखित शक्ति के अनुरूप निकाली जाय। उपर्युक्त शर्त्तें 2 के उपबंधानुसार आगे मंजूर किये जाने वाला किसी विनिर्माणशाला या विनिर्माणशालाओं से या उपर्युक्त शर्त्तें 1 के अधीन उत्पाद आयुक्त के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सामग्री से बनी किसी शराब की बिक्री होने पर उसकी कीमत वही होगी जो यथा स्थिति ऐसी अनुमति देने पर उत्पाद आयुक्त नियत करेंगे या ऐसी अनुमति में विनिर्दिष्ट हो अथवा (इस प्रकार नियत कीमत के बारे में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपत्ति करने पर) राजस्व पर्षद निर्धारित करे।

6. उक्त विनिर्माणशाला से शराब की बिक्री बोतल की परिभाषा में सैचेट में भरकर की जायेगी। शराब की शक्ति माप तथा बोटलिंग की प्रक्रिया वहीं होगी जो राजस्व पर्षद समय–समय पर विशेष या सामान्य आदेश देकर नियत करेंगे।

7. इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री समय–समय पर केवल उन्हीं व्यक्तियों (थोक प्राप्त बिक्रेता के रूप में विनिर्दिष्ट) के साथ की जायेगी जो विहित प्रपत्र में पारक पेश करेंगे और जिसमें उनके हाथ शराब बेचने का प्राधिकार दिया गया हो और उनकी हाथ केवल उसी प्रकार/प्रकारों और उतनी ही मात्रा में शराब की बिक्री की जायेगी जो ऐसे पारकों में उल्लिखित हों, उससे अधिक नहीं।

8. (क) अनुज्ञप्तिधारी को उस विनिर्माणशाला से जहां उसे अनुज्ञप्ति के अधीन समय–समय पर शराब बेचने की अनुमति दी गयी हो, अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेताओं द्वारा पेश किये गये पारकों में उल्लिखित मात्रा या मात्राओं में और प्रकार/प्रकारों की शराब की बिक्री के तौर पर आपूर्त्ति करने के लिए बाध्य होगा।

(ख) उपर्युक्त शत्ते–7 में विनिर्दिष्ट शराब की आपूर्त्ति में चूक करने पर उत्पाद आयुकत के निदेशानुसार अर्थ दंड लगाया जायेगा। अर्थदंड की रकम उतनी तक हो सकती है जो अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक बिक्रेताओं द्वारा मांगी गयी

किन्तु आपूर्त्ति की गयी शराब पर लगने वाले उत्पाद कर तथा आपूर्त्ति में चूक के चलते सरकार को हाने वाले राजस्व की हानि की रकम हो।

(ग) अनुज्ञाधारी, समाहर्त्ता या उत्पाद आयुक्त के आदेशानुसार अन्य किसी अनुज्ञप्तिधारी के विनिर्माणशाला को उस अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर शराब की आपूर्त्ति करेगा जो निर्धारित मात्रा में शराब की आपूर्त्ति करने में विफल रहा है। आयुक्त उत्पाद अपने विवेक से ऐसे विफल अनुज्ञप्तिधारी पर अथदंड लगा सकते है।

(घ) यदि किसी प्रक्षेत्र के नियुक्त ठेकेदार द्वारा शराब की आपूर्त्ति नहीं की जा रही हो तो समाहर्त्ता या उत्पाद आयुक्त के आदेश पर नियुक्ति ठेकेदार द्वारा शराब की आपूर्त्ति नहीं की जा रही हो तो उस प्रक्षेत्र के अलग–बगल के प्रक्षेत्र में कार्यरत ठेकेदार निर्धारित दर पर उस अनुज्ञप्तिधारी को देशी शराब की आपूर्त्ति करना बाध्यकारी होगा।

(ड) अनुज्ञप्तिधारी उन सभी सामान्य या विशेष आदेशों से आबद्ध होगा जो उत्पाद आयुक्त समय–समय पर जारी करें।

9. हरेक निर्माणशाला में जहां अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री तत्काल अनुमत हों विभिन्न शक्तियों एवं मापों की शराब भरी सैचेट में शराब की ऐसी न्यूनतम मात्रा (स्कंध) रखी जायेगी। जो समय–समय पर उत्पाद आयुक्त/जिला समाहर्त्ता नियत करें और अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में संसूचित करें। यदि कभी भी इस विहित न्यूनतम मात्रा से स्कंध कम हो जाये तो अनुज्ञप्तिधारी इसे विहित न्यूनतम मात्रा तक तुरन्त पूरा कर देगा। यदि वह समाहर्त्ता या विनिर्माणशाला के प्रभारी के प्रभारी पदाधिकारी से ऐसा करने की नोटिस मिलने के बाद 7 (सात) दिनों के भीतर ऐसा नहीं करें तो समाहर्त्ता किसी भी श्रोत से जो वह उचित समझे इसे पूरा करने के लिए अपेक्षित शराब (जिसमें विभिन्न शक्तियों एवं मापों की शराब की सैचेट भी शामिल है) प्राप्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी मांग करने पर समाहर्त्ता को इस प्रकार प्राप्त किसी शराब का कोई ऐसा खर्च भी देने का भागी होगा जो उसकी बिक्री से कीमत के रूप में वसूली गई रकम से ज्यादा हो इस खर्च में मार्ग व्यय भी शामिल है।

10. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सभी निर्माणशाला को जो अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति है और जहां अनुज्ञप्ति के अधीन सैशे में शराब बेचने की तत्काल अनुमति दी गयी हो, जलापूर्त्ति संबंधी स्त्रोतों और साधनों की व्यवस्था एवं समय–समय पर यथोचित और पर्याप्त मरम्मत एवं अनुरंक्षण अपनी खर्च पर करेगा और उन्हें अच्छी चालू स्थिति में रखेगा। अनुबद्ध अनुसूची विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपेक्षित सभी नये निर्माणशाला अनुज्ञप्तिधारी के खर्च से बनायें और अनुरक्षित किया जायेगा। यदि ऐसे निर्माणशाला जहां इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री के लिए तत्काल अनुमति दी गयी हो, सरकारी सम्पत्ति हो तो उन्हें सरकारी निदेशानुसार और सरकारी खर्च से अनुरक्षित किया जायेगा। किन्तु अनुज्ञप्तिधारी उन सरकारी मकानों की जिनमें प्रभारी सरकारी पदाधिकारियों के क्वार्टर भी हैं, दखल मेंरखने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर से किराये का भुगतान करेगा। साथ ही वह उचित टूट–फूट को छोड़कर सरकार मकानों और उसमें लगी सरकारी संपत्ति की हुई क्षतियों के लिए जिसमें आग से क्षति भी शामिल है, की भरपाई करेगा। इस पर समाहर्त्ता का निर्णय अन्तिम होगा। जहां तक नगरपालिका करों का संबंध है गृह कर (सामान्य नगरपालिका कर) का सरकार भुगतान करेगी।

सभी अतिरिक्त करों का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी करेंगे भले ही वे कर, शुल्क या स्थानीय कर के रूप में उल्लिखित हो। अनुज्ञप्तिधारी निर्माणशाला से संलग्न कार्यालयों में लिपिकों, पदाधिकारियों तथा निरीक्षण पदाधिकारियों के उपयोग के उपयोग के लिए उपर्युक्त फर्नीचर रखेगा। उसे आवश्यकतानुसार ऐसे सभी फर्नीचरों की मरम्मत और बदलाव भी करना होगा।

11. इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति या उसके किसी नवीकरण की अवधि बीतने पर अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद आयुक्त के चाहने पर –

(क) अपने उत्तराधिकारी को कोई ऐसा मकान जिसे इस अनुज्ञप्ति के अनुसार बनाया या अर्जित किया गया हो उतने मूल्य पर जिस पर वह और उसके उत्तराधिकारी सहमत हों सौंपने के लिए बाध्य होगा। यदि वे सहमत नहीं हो सके तब उत्पाद आयुक्त द्वारा नियत मूल्य पर उसे सौंप देने के लिए बाध्य होगा।

(ख) अपने उत्तराधिकारी को शराब की आपूर्ति, संचय, प्रबंधन (हैंडलिंग) सैचेटिंग और निर्गमन के लिए व्यवहृत ऐसे संयंत्रों जिन्हें उत्पाद आयुक्त विनिर्दिष्ट करें उत्पाद आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य पर सौंप देने के लिए बाध्य होगा और अनोबर्वत अनुज्ञप्तिधारी को इन संयत्रों को उस मूल्य पर स्वीकार करना पड़ेगा। पट्टेदारी पर लिए गये परिसर में संचालित मद्य भंडागार के मामले में यदि पट्टीदार इस पट्टे की समाप्ति के पूर्व किसी समय किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उक्त पट्टान्तरित परिसर या उसके किसी भाग पर अपना कब्जा करने का इच्छुक हो तथा समाहर्त्ता के स्वीकृति से अपनी ऐसी इच्छा की नोटिस पट्टाधारी पर तामिल करें, तो पट्टाधारी उपर्युक्त नोटिस मिलने की तारीख से तीन महीनों के भीतर उक्त पट्टान्तरित परिसर अथवा उसके ऐसे भाग को खाली कर देगा जो उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट हो। यदि पट्टीदार उत्पाद आयुक्त की सहमति से बनाये गये किसी भवन या किये गये किसी सुधार के लिए पट्टीदारी को किसी क्षतिपूर्त्ति का दावा प्रस्तुत करें और उपर्युक्त क्षतिपूर्त्ति के रकम के बारे में मतभेद हो तब उस पर उत्पाद आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

12. इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की आपूर्ति मापों प्रबंधन (हैण्डलिंग), सैचेटिंग बिक्री और निर्गमन के लिये आवश्यक या उचित अथवा उनसे संबंधित या उनके लिये उपर्युक्त सभी जगहों और चाजों की जिनमें कुन्ड, टंकी पम्प पाईप, टांटी मापी, और बर्त्तन आदि भी है कि अनुज्ञप्तिधारी उन निर्माणशाला में उपयोग के लिये लाइसेंसधारी व्यवस्था करेगा जहाँ इस लाइसेंस के अधीन शराब की बिक्री के लिये तत्काल अनुज्ञप्ति दी गयी है। ऐसे निर्माणशाला

में शराब के संचय या निर्गमन के लिये भैट, टंकियों और पीपे उतनी संख्या में और उतनी क्षमता के होंगे और उस डिजाइन के अनुसार बैठाए जायेंगे जैसा उत्पाद आयुक्त समय–समय पर निदेश दें। उपर्युक्त में निपजन दंड (डिपिंग रॉड) भी लगे रहेंगे। शराब के संचय या उपययन के लिये नए कुंड काठ/लोहे के बने होंगे। अनुज्ञप्तिधारी पर ऐसे सभी गोदामों में अपचयन के लिये जल पहुँचाने की और शराब के सम्मिश्रण के पहले जल पहूँचाने और उस जल का यथोचित इसके बारे में समाहर्त्ता का लिखित आदेश निर्णायक होगा। फीलटरेशन और शोधन कराने तथा सैसे हेतु ऐसी क्षमता के संयंत्र लगाने की अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेवार होगा जो उस भंडागार से होने वाली निर्गमन के अनुरूप हो। वह इस संबंध में समाहर्त्ता/उपायुक्त के सभी लिखित निदेशों को प्राप्त होने के बाद तुरंत पालने के लिये बाध्य होगा।

13. इसमें सरकार को यह आदेश सुरक्षित रहेगा कि यदि वह चाहें तो किसी जिला के सभी निर्माणशाला या किसी एक गोदाम से सैचेटिंग कर देशी शराब की आपूर्ति की व्यवस्था किसी अवधि विशेष लागू करें। ऐसे करने पर अनुज्ञपिधारी किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। अनुज्ञप्ति के अधीन सभी सैचेटिंग प्लान्टों में शराबों का संचय/अपचयन, सैचेटिंग और बिक्री निर्गमन निर्माणशाला के प्रभारी सरकारी पदाधिकारी के सतवें पर्यवेक्षण में किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी हरेक गोदाम में एक अंग्रेजी जानने वाला लिपिक रखेगा जो शक्ति निकालने वास्ते शराब के अपचयन तथा सभी छीजनों (वेस्टेजों) और सकीचनों के लिये जिम्मेवार होगा। अनुज्ञप्तिधारी को मार्गस्थल एवं कार्यकारी क्षति देय नहीं होगा।

14. उत्पाद आयुक्त द्वारा कोई ऐसा आदेश जिससे निर्माणशाला भवनों में या शराब के संचय/अपचयन सम्मिश्रणों सैचेटिंग और निर्गमन या जलापूर्ति की व्यवस्था में मौजूद कोई त्रुटि दूर करने की अपेक्षा की गई हो, अनुज्ञप्तिधारी उसका तुरंत पालन करेगा और आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उसे त्रुटि को अवश्य दूर कर देगा। ऐसा न करने पर उसे वह अर्थदंड जिसका उत्पाद आयुक्त आदेश दे तथा उन सभी खर्च का भी जो इन त्रुटियों को दूर करने में लगेगा भुगतान करना पड़ेगा।

15. इस विशेषाधिकार के अन्तर्गत सभी ठेकेदारों को बंध के अधीन ही पारक के आधार पर आसवनगृह से सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। किन्तु यदि देय कर का भुगतान का सरकार द्वारा आदेश हो जाये तब तदनुसार कर की राशि पूर्व आदायगी के उपरांत ही सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। इस संबंध में उत्पाद आयुक्त, बिहार का निदेश का पालन करना होगा।

16. विनिर्माण अनुज्ञप्तिधारी थोक अनुज्ञाधारी से कर एवं देशी शराब का लागत मूल्य बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर बोतल में देशी शराब की निकासी देंगे। इस प्रकार प्राप्त की गयी राशि के अलग–अलग रसीद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा थोक अनुज्ञाधारी को दी जायेगी जो भंडागार के गाईफाइल में सुरक्षित रखे जायेंगे।

17. बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 27 के अधीन लगाये उत्पाद–कर (डियूटी) की दरों में कोई फेर–बदल होने से इस अनुज्ञप्ति की शर्त्तो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. यदि समाहर्त्ता या उत्पाद आयुक्त आदेश दें तो अनुज्ञप्तिधारी इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित हरेक निर्माणशाला में शेष बची शराब की उतनी मात्रा जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान औसतन प्रतिमाह बेची गई उसी मूल्य पर लेने के लिए बाध्य होगा जिस मूल्य पर वह पूर्ववर्ती वर्ष में बची गई थी परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी इस मूल्य को स्वीकार नहीं करें तो उत्पाद आयुक्त इसे निर्धारित करेगें जो अनुज्ञप्तिधारी को मान्य होगा।

19. राजस्व पर्षद/सरकार किसी ठेका अवधि का उस कालावधि के लिये विस्तार कर सकती है जिस वह ठेका समाप्ति के समय विद्यमान परिस्थितियों में उचित समझें और कार्यरत ठेकेदार विस्तारित अवधि में निविदा/अनुज्ञा की शर्तो के अनुसार आपूर्ति जारी रखने के लिये बाध्य होंगे।

20. इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद चाहे या इसकी किसी नवीकरण की अवधि बीत जाने पर अनुज्ञप्तिधारी की उक्त अनुज्ञप्ति के तहत अवशेष बचे सुषव/शराब का निष्पादन राजस्व पर्षदीय नियमावली के नियमों के अनुसार किया जायेगा। अवशेष बचे सुषव एवं शराब अनुवर्ती अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेने से इन्कार की स्थिति में इसकी बिक्री उस दर पर लगायी जायेगी। जो उत्पाद आयुक्त नियत करें।

21. अनुज्ञप्तिधारी इन शर्तो के पालन की प्रतिभूति स्वरूप ऐसे हरेक निर्माणशाला के संबंध में जहाँ इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री के लिये तत्काल अनुमति दी गई है, उत्पाद आयुक्त के पास सरकारी प्रोमिसरी नोट के रूप में या (उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रूप में) ऐसी रकम जमा करेगा जो वे निदेशित करें।

22. बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 93 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अर्थदंड और अन्य रकमों जिनका अनुज्ञप्तिधारी उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भागी हो उपर्युक्त प्रतिभूति से वसूलनीय होगें।

23. सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी मद्य नीति के अनुसार या अन्य कोई विशेष कारण से किसी भी क्षेत्र में देशी शराब की आपूर्ति बन्द कर दें या आपूर्ति प्रणाली यथा सैचेटिंग की व्यवस्था में परिवर्तन किया करें, अनुज्ञप्तिधारी उससे बाध्य होगा एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

24. निविदा की शर्तो और बंधेज इस अनुज्ञप्तिधारी की शर्ते बंधेज माने जायेंगे और पूर्ववर्ती कंडिकाओं में सन्निविष्ट इस अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं बंधेज जहाँ तक वे उपर्युक्त निविदा की शर्तो और बंधेज से असंगत हों, उपरोक्त दशा में रूपभेदित समझें जायें।

25. यदि ठेकेदार या उसके एजेन्ट उस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तो का उल्लंघन या अपालन करे तो उक्त अधिनियम की धारा–42 के अधीन यह अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित कर दिया जायेगा, और उक्त उक्त अधिनियम की धारा–57 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी अर्थदण्ड का भागी होगें।

26. अनुज्ञाधारी बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी नियमावलियों एवं राजस्व पर्षद/उत्पाद आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्गत सामान्य या विशेष अनुदेशों का पालन करने को बाध्य होगा।

समाहर्त्ता

प्रतिरूप करार– पत्र

मैं ..... उपर्युक्त अनुज्ञप्तिधारी अपने तथा अपने वारिसों, वैद्य प्रतिनिधियों और सुनिवेशितियों की ओर से इसके द्वारा करार करता हूँ कि इसके पहले लिखित और व्यक्त सभी शर्तों और बंधजो का पालन करूँगा और उससे बाध्य रहूँगा।

तारीखः–.....

गवाहः–..... हस्ताक्षर

अनुसूची–4
फार्म 2 ए बैंक का प्रतिवेदन
अधिसूचित बैंक द्वारा प्रदत्त सम्पन्नता प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता कि हमारी जानकारी एवं सूचनानुसार मेसर्स/श्री (नाम) ..... जो हमारे बैंक के एक आदर्श ग्राहक है, और इनपर किसी व्यवसाय के लिये रू०..... (अंकों में) ....(शब्दों में) तक के लिए सक्षम माना जा सकता है।

मेसर्स (आवेदक का नाम) के नाम अभी वर्तमान में इस बैंक में रू० ..... (अंको में) ....(शब्दों में) की राशि जमा है एवं आवेदक को इस राशि से रू० ..... (अंको में) . .....(शब्दों में) तक की अधिक राशि की निकासी की सुविधा उपलब्ध है।

हस्ताक्षर एवं बैंक की मुहर।
बैंक का नाम :–
पता :–
तिथि :–

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 421-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in